



झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या-09 / 2025

{गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत कारा एवं सुधारात्मक सेवाएँ निरीक्षणालय के अधीन पारा चिकित्सा कर्मों के पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा-2025}

झारखण्ड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की
भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025
(नियमित एवं बैकलॉग रिक्ति)

JJPSCCE -2025 (Regular & Backlog Vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक— 06/क0च0आ0—02—05/2024 का0—5729 (अनु0) दिनांक—25.09.2025 के द्वारा अग्रसारित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—5821 दिनांक—12.09.2025 के द्वारा संसूचित महिला नर्स (ए०एन०एम०) एवं पुरुष नर्स (ए०एन०एम०), फार्मासिस्ट, मिश्रक, परिधापक तथा एक्स—रे टेक्निशियन की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के काराओं में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा—2025 के लिये ऑन—लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थी अर्हता अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क रु. 100/—(एक सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/— (पचास रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3. (क) सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी :-

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या							
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षेत्रीय आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	महिला नर्स (ए०एन०एम०)	1.अनारक्षित	02	00	00	01	00	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	00	00						
		3.अनुसूचित जाति	00	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00						
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	02	00	00	01	00	00	00	00
2.	पुरुष नर्स (ए०एन०एम०)	1.अनारक्षित	11	00	01	01	01	00	00	01
		2.अनुसूचित जनजाति	07	00						
		3.अनुसूचित जाति	03	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	02	00						
		5.पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	01	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00						
		योग :-	26	00	01	01	01	00	00	01
3.	फार्मासिस्ट	1.अनारक्षित	01	00	00	01	00	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	00	00						
		3.अनुसूचित जाति	00	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00						
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	02	00	00	01	00	00	00	00

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या							
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत शैतिज आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	मिश्रक (कम्पाउण्डर)	1.अनारक्षित	07	01	00	01	00	00	00	01
		2.अनुसूचित जनजाति	02	00						
		3.अनुसूचित जाति	01	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00						
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	10	01	00	01	00	00	00	01
5	परिधापक (ड्रेसर)	1.अनारक्षित	06	00	00	01	00	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
		3.अनुसूचित जाति	01	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00						
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	08	00	00	01	00	00	00	00

3. (ख) बैकलॉग नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी :-

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या						
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण						
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	चलन निःशक्तता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता	झारखण्ड राज्य के गठन हेतु किये गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को देय 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पुरुष नर्स (ए०एन०एम०)	1.अनारक्षित	00	00	00	01	00	00	00	00
		2.अनुसूचित जनजाति	00	00						
		3.अनुसूचित जाति	00	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	01	00						
		5.पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	01	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	02	00	00	01	00	00	00	00
2	एक्स-रे टेक्निशियन	1.अनारक्षित	00	00	00	01	00	00	00	01
		2.अनुसूचित जनजाति	01	00						
		3.अनुसूचित जाति	00	00						
		4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनु-I)	00	00						
		5. पिछड़ा वर्ग(अनु-II)	00	00						
		6.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00						
		योग :-	01	00	00	01	00	00	00	01

➤ कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की विभागीय संकल्प संख्या-1938, दिनांक-20.04.2021 के आलोक में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सरकारी नियुक्ति में झारखण्ड अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया है। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक बार ही देय होगा।

5. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।
6. कंडिका-3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
(i)	महिला नर्स (ए.एन.एम.)	Level-4 (25,500-81,100)	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्ण ख) 18 माह का ए.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से निबंधित हों
(ii)	पुरुष नर्स (ए.एन.एम.)	Level-4 (25,500-81,100)	क) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्ण ख) 18 माह का ए.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण ग) अभ्यर्थी झारखण्ड नर्सिंग काउन्सिल से निबंधित हों
(iii)	फार्मासिस्ट	Level-5 (29,200-92,300)	क) I.Sc./10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।
(iv)	मिश्रक (कम्पाउण्डर)	Level-2 (19,900-63,200)	क) I.Sc./10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ मिश्रक का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण अथवा वर्ष 1994 के पूर्व मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के फार्मसी काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए।
(v)	परिधापक (ड्रेसर)	Level-1 (18,000-56,900)	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं (मैट्रिक) कक्षा उत्तीर्णता के साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता।

(vi)	एक्स-रे टेक्निशियन	Level-5 (29,200-92,300)	क) I.Sc./10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ एक्स-रे टेक्निशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। ख) उपर्युक्त वांछित डिप्लोमा विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त होना चाहिए। ग) अभ्यर्थी को झारखण्ड राज्य या अन्य राज्यों के पारा मेडिकल काउन्सिल से पंजीकृत होना चाहिए। घ) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान अनिवार्य है।
------	--------------------	----------------------------	--

नोट:-शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं अथवा विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

- (ग) कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र०सं०	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय / तृतीय स्थान
2	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाईट <https://jssc.jharkhand.gov.in> पर उपलब्ध है।

7. आयु सीमा:-

- (क) उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :-

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा के गणना की संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा के गणना की संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1	महिला नर्स (ए०एन०एम०)	01.08.2025	01.08.2025
2	पुरुष नर्स (ए०एन०एम०)	01.08.2025	01.08.2025
3	फार्मासिस्ट	01.08.2025	01.08.2025
4	मिश्रक	01.08.2025	01.08.2025
5	परिधापक	01.08.2025	01.08.2025
6	एक्स-रे टेक्निशियन	01.08.2025	01.08.2025

(ख) न्यूनतम उम्र सीमा – 20 वर्ष

(ग) अधिकतम उम्र सीमा:—(कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-29, दिनांक-04.01.2021 द्वारा यथा निर्धारित)

- | | |
|---|------------|
| (i) अनारक्षित | — 35 वर्ष। |
| (ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 35 वर्ष। |
| (iii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं
पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 (पुरुष) | — 37 वर्ष। |
| (iv) महिला
[अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)
एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)] | — 38 वर्ष। |
| (v) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) | — 40 वर्ष। |

(घ) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- X) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

- (i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ङ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(च) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छ) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त “घ” या “च” में कोई एक ही मान्य होगा।

8. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी:—

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निःशक्तता (दोनों हाथ प्रभावित) तथा सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निःशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन

द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- XI)** उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) उपर्युक्त कंडिका-(i) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थियों द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा संबंधी अनुरोध पत्र आयोग कार्यालय में परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (iv) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

9. पात्रता:—

परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। निर्धारित अवधि में आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने पर आयोग निर्णय ले सकता है।

10. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

10. (i) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

- (क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IX पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (च) पिता/पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10.(ii) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-I पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी से अन्यून के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट- III पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VI पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VII) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।
- (च) मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किये गये दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्य/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- (ञ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।
- (ठ) बैकलॉग रिक्ति के विरुद्ध अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में वांछित जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित नहीं करने अथवा विवरणिका में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट-IX, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित

प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

11. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:-

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
- (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
- (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
- (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा- तिथि, माह और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

12. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना:-

ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएँ एवं Online Application for

JJPSCCE-2025 को Click करें तत्पश्चात् अपना पंजीकरण (Registration) करें।

- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग-ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात् अपना स्कैन किया हुआ (Scanned) फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- vii) एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किये गये आवेदन को वैध माना जायेगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा।

13. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:-

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक-08.01.2026 से दिनांक-07.02.2026 की मध्य रात्रि तक।

- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक-09.02.2026 की मध्य रात्रि तक।
- ग) दिनांक-10.02.2026 से दिनांक-13.02.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः Link खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक-10.02.2026 से दिनांक-13.02.2026 के मध्य रात्रि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई०डी० एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

15. पदों का विकल्प :-

अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं।

16. परीक्षा का स्वरूप :-

- 16.1.** आयोग द्वारा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) ली जायेगी तथा एक विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। Normalisation का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

क्र०सं०	पदनाम	प्रथम पत्र (अवधि 2 घंटे)	द्वितीय पत्र (अवधि 2 घंटे)
1	2	3	4
1	महिला नर्स (ए०एन०एम०)	सामान्य विषय के अंतर्गत कुल-100 अंकों की परीक्षा जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न आंग्ल भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न एवं हिन्दी भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे।	महिला नर्स (ए०एन०एम०) प्रशिक्षण संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल-100 अंकों के प्रश्न होंगे।
2	पुरुष नर्स (ए०एन०एम०)		पुरुष नर्स (ए०एन०एम०) प्रशिक्षण संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल-100 अंकों के प्रश्न होंगे।
3	फार्मासिस्ट		डिप्लोमा इन फार्मसी के सिलेबस से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल-100 अंकों के प्रश्न होंगे।
4	मिश्रक		डिप्लोमा इन फार्मसी के सिलेबस से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल-100 अंकों के प्रश्न होंगे।
5	परिधापक		केवल प्रथम पत्र की परीक्षा होगी।
6	एक्स-रे टेक्नीशियन	सामान्य विषय के अंतर्गत कुल-100 अंकों की परीक्षा जिसमें सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, कम्प्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न, आंग्ल भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न एवं हिन्दी भाषा के आधारिक ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे।	एक्स-रे टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स के सिलेबस से संबंधित विषय पर वस्तुनिष्ठ परक कुल-100 अंकों के प्रश्न होंगे।

16.2 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- कंडिका-6 में अंकित पदों पर चयन हेतु परीक्षा एक चरण में (मुख्य परीक्षा) ली जायेगी।

(क) परिधापक के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए केवल एक पत्र (प्रथम पत्र) की परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(ख) पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेक्नीशियन के पदों के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही पत्रों की परीक्षा आयोजित की जायेगी।

16.3 परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी। **प्रथम पत्र की परीक्षा के लिए प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर का होगा।**

18 परीक्षा का पाठ्यक्रम:

प्रथम पत्र तथा द्वितीय पत्र से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अनुलग्नक के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) उपर्युक्त कंडिका-6 में वर्णित सभी पदों के अभ्यर्थियों को प्रथम पत्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पत्र में 30 प्रतिशत के कम प्राप्तांक लाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में स्थान नहीं मिलेगा। मेधा सूची से कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) परिधापक के पद की मेधा सूची प्रथम पत्र में प्राप्तांक के आधार पर गठित होगी। पुरुष नर्स, महिला नर्स, मिश्रक, फार्मासिस्ट तथा एक्स-रे टेकनीशियन के पद के लिए प्रथम एवं द्वितीय पत्र के प्राप्तांक को जोड़कर इन पदों की अलग-अलग सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। मिश्रक एवं फार्मासिस्ट पद के लिए मेधा-सह-विकल्प के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (iii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।
- (iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (v) उपर्युक्त उप कंडिका (i) के आधार पर तैयार सामान्य मेधा-सूची के आलोक में रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- | | |
|---|-------------------------------|
| (I) अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग | — 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग -(अनुसूची-1) | — 34 (चौत्तीस) प्रतिशत |
| (IV) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (V) आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
- (vi) उपर्युक्त उप कंडिका (v) के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उनके आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आयोग आमंत्रित कर सकता है।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-19 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग द्वारा करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता, सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ, समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

22. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. विवरणिका में प्रावधानित वांछित शैक्षणिक अहर्ता/स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्रों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
5. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करना, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करना, आवेदन में संशोधन के उपरांत परीक्षा शुल्क की अंतर राशि की भुगतान नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशित होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुनर्गणना के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में नाम/फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना नाम, फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में हो सकती है।

(xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

ह. / —
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट-(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि.
—19-11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....
(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
 - * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.
-

परिशिष्ट—(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.03-13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....थाना.....
जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा- 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट(III)

संशोधित

भारत सरकार/झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का फारम

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता ग्राम/नगर
जिला/प्रमंडल, राज्य/संघशासित प्रदेश
निम्नलिखित के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन जाति/जनजाति के सदस्य हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघशासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित)
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, अनुसूचित जनजाति आदेश अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 द्वारा यथासंशोधित
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- * संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- * अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार सामान्य रूप से राज्य/संघशासित प्रदेश के ग्राम/नगर जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी :

- क. यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में है।
- ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है :
- i) जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के पद से अन्यून)
 - ii) मुख्य प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/अपर प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी/प्रेसीडेंसी दंडाधिकारी।
 - iii) राजस्व पदाधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अन्यून होगा।
 - iv) उस क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी जहाँ अभ्यर्थी और/अथवा उसका परिवार रहता है।

स्थान
तिथि

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का-10007 दिनांक- 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
... पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली
हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता
पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
..... पोस्ट थाना
..... अंचल जिला राज्य
..... एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-(VI)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
14/जा.नि.-03-13/2015/का. 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन
पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को
माननेवाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया
झारखण्ड राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल
..... में निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में
उल्लिखित तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक-
10.06.2002 द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.
1993 के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रगणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता-पिता द्वारा किये
गये घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए
वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न
करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(VII)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

Date

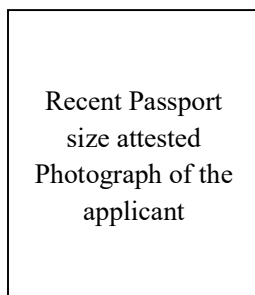
.....

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari
son/daughter/wife of permanent resident of
..... village/street post office
..... District in the State/Union Territory
Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8
Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family
does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the
..... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/
EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर.....
पो०.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी
हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के
संकल्प संख्या—3198 दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

परिशिष्ट—(IX)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 5752 दिनांक— 19.07. 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं. :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री....
..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो0.....
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण
पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198
दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत
किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित
प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :.....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—(X)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध—1

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
.....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
.....पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी
की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त—

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (i) दोनो टांगे (बी.एल.) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी.ए.) — दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी.एल.ए.) — दोनों टांगे और बाहें प्रभावित
(iv) एक टांग (ओ.एल.) — एक टांग प्रभावित (दायां बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(v) एक बांह (ओ.ए.) — एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
(vi) पीठ और नितम्ब (बी.एच.)— पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन.डब्ल्यू.) — मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

- (i) बी.— अंधापन
(ii) पी. बी.— आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी.— बधिर
(ii) पी. डी.— आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती।.....वर्षों.....
महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पुरा करते/करती है:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी. पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के. सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii)एस. टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii)डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट (XI)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

लिखने में अक्षमता संबंधी प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा
अधिकारी/सिविल
सर्जन द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार का
हाल का फोटो जो
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....
पहचान चिन्ह.....स्थायी पता
..... का परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया।
जाँचोपरांत पाया गया कि इनकी शारीरिक अक्षमता इनके लिखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

नोट— प्रमाण पत्र संबंधित दिव्यांगता के चिकित्सक द्वारा ही निर्गत किया जाय।
(उदाहरण – अंधापन और कम दृष्टि – चक्षु विशेषज्ञ)

पाठ्यक्रम

प्रथम पत्र:

सामान्य ज्ञान एवं भाषा ज्ञान

- (क) **सामान्य अध्ययन :-** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि के सम्बन्ध में झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।
- (ख) **हिन्दी भाषा ज्ञान :** हिन्दी अपठित अनुच्छेद तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (ग) **अंग्रेजी भाषा ज्ञान:** अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (घ) **एक्स-रे टेक्निशियन के पद के अभ्यर्थियों के लिए कम्प्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न पूछे जायेंगे,** जिसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम०एस० विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम०एस० ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे।

SYLLABUS FOR PHARMACIST (फार्मासिस्ट) / COMPOUNDER (मिश्रक)

PHARMACEUTICS

1. Introduction of different dosage forms. Their classification with examples- their relative applications. Familiarisation with new drug delivery systems.
2. Introduction to Pharmacopocias with special reference to Indian Pharmacopocia.
3. Metrology- Systems of weights and measures. Calculations including conversion from one to another system. Percentage calculations and adjustments of products. Use of allegation method in calculations. Isotonic solutions.
4. Packing of Pharmaceuticals- Desirable features of a container types of containers study of glass and plastics as materials of containers and rubber as material for closures- their merits and demerits. Introduction to aerosol packaging.
5. Size reduction objectives and factors affecting size reduction, methods of size reduction- Study of Hammer mill, Ball mill, Fluid Energy mill and disintegrator.
6. Size separation- Size separation by sifting. Official Standard for powders. Sedimentation methods of size separation. Construction and working of cyclone separator.
7. Mixing and Homogenisation – Liquid mixing and powder mixing, mixing of semisolids, study of Silverson Mixer- Homogeniser, Planctary Mixer, Agitated powder mixer; Triple roller mill, Propeller mixer, Colloid mill and hand homogenizer. Double cone mixer.
8. Classification and filtration – theory of filtration, filter media, filter aids and selection of filters. Study of following filtration equipments- Filter Press, Sintered filters, Filter candles, Metafilter.
9. Extraction and Galenicals- (a) Study of percolation and maceration and their modification. Continuous hot extraction, - Application in extraction of tincture and extracts. (b) Introduction to Ayurvedic dosages forms.
10. Heat processes Evaporation- Definition. Factors affecting evaporation. Study of evaporating still and evaporating pan.
11. Distillation- Simple distillation and fractional distillation, steam distillation and vacuum distillation. Study of vacuum still, preparation of purified water I.P. and water for injection I.P. Construction and working of still used for the same.
12. Introduction to drying processes- Study of tray dryers, Fluidized Bed dryer vacuum Dryer and freeze Dryer.
13. Sterilization- Concept of sterilization and its differences from disinfection, thermal resistance of micro organism, Detailed studies of the following sterilization process– (a) Sterilization with moist heat, (b) dry heat sterilization, (c) Sterilization by radiation, (d) Sterilization by Filtration and (e) Gaseous sterilization. Aseptic techniques. Study of sterilization process in hospitals particularly with reference

to surgical dressing and intravenous fluids, precautions for safe and effective handling of sterilization equipment.

14. Processing of tablets- Definition; Different types of compressed tablets and their properties, Processes involved in production of tablets, Tablets excipients, Defects in tablets, Evaluation of Tablets: physical standards including disintegration and Dissolution. Tablet coating- sugar coating, film coating enteric coating and microencapsulation (Tablet coating may be dealt in an elementary manner.)
15. Processing of capsules- Hard and soft gelatin capsules, different sizes capsules, filling of capsules, handling and storage of capsules, special application of capsules.
16. Study of immunological products like sera vaccines, toxoids and their preparations.

PHARMACEUTICS-II

1. Dispensing Pharmacy:
 - (i) Prescriptions- Reading and understanding of prescription; Latin terms commonly used (Detail study is not necessary), modern methods of prescribing, adoption of metric system, calculation involved in dispensing.
 - (ii) Incompatibilities in Prescriptions- Study of various types of incompatibilities- Physical, Chemical and therapeutic.
 - (iii) Posology- Dose and doses of drugs, Factors influencing dose, Calculation of dose on basis of age, sex and surface area, Veterinary doses.
2. Dispensed Medications:

(Note- A detailed study of the following dispensed medication is necessary Methods of preparation with theoretical and practical aspects, use of appropriate containers and closures, special labelling requirements and storage conditions should be highlighted).

 - (i) Powders- Types of powders- Advantages and disadvantages of powders, Granules, Cachets and Tablet triturates. Preparation of different types of powders encountered in prescriptions, weighing methods, possible errors in weighing, minimum weighable amounts and weighing of material below the minimum weighable amount, geometric dilution and proper usage and care of dispensing balance.
 - (ii) Liquid - Oral Dosage Forms:
 - (a) Monophasic- Theoretical aspects including commonly use vehicles, essential adjuvant like stabilizers, colourants and flavours with examples.

Review of the following monophasic liquids with details of formulation and practical methods.

Liquids for internal administration	Liquids for external administration or used on mucus membranes
--	---

Mixtures and Concentrates Syrups, Elixirs	Gargles, Mouth washes, Throat paints, Douches, Ear drops, Nasal drops & sprays, Liniments, Lotions,
---	---

- (b) Biphasic Liquid Dosages forms:
 - (i) Suspension (elementary study) Suspension containing diffusible solids and liquids and their preparations. Study of adjuvants used like thickening agents, wetting agents, their necessity and quantity to be incorporated. Suspensions of precipitate forming liquids like tinctures, their preparation and stability. Suspensions produced by chemical reaction. An introduction of flocculated, non flocculated suspension system.
 - (ii) Emulsions- Types of emulsions, identification of emulsion system, formulation of emulsions, selection of emulsifying agents. Instabilities in emulsions. Preservation of emulsions.
 - (iii) Semi- Solid Dosages Forms:
 - (a) Ointments- Types of ointments, classification and selection of dermatological vehicles. Preparation and stability of ointments by the following processes:
 - (i) Trituration (ii) Fusion (iii) Chemical reaction (iv) Emulsification.
 - (b) Pastes- Difference between ointments and pastes, bases of pastes. Preparation of paste and their preservation.
 - (c) Jellies- An introduction to the different types of Jellies and their preparation.
 - (d) An elementary study of poultice.
 - (e) Suppositories and pessaries- Their relative merits and demerits, types of suppositories, suppository bases, classification, properties. Preparation and packing of suppositories. Use of suppositories for drug absorption.
 - (iv) Dental and Cosmetic Preparations: Introduction to Dentrifices, Facial cosmetics. Deodorants, Antiperspirants, Shampoos, Hair dressing and hair removers.
 - (v) Sterile dosages forms:
 - (a) Parenteral dosage forms- Definition, General requirements for parenteral dosage forms. Types of parenteral formulations, vehicles, adjuvants, processing, personnel, facilities and Quality control, Preparation of Intravenous fluids and admixtures- Total parenteral nutrition, dialysis fluids.
 - (b) Sterility testing, Particulate matter monitoring – Faulty seal packaging.

- (c) Ophthalmic products- Study of essential characteristics of different ophthalmic preparations. Formulation additives, special precautions in handling and storage of ophthalmic products.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

1. General discussion on following inorganic compounds including important physical and chemical properties, medicinal and pharmaceutical uses, storage condition and chemical incompatibility.
 - (a) Acids, bases and buffers. Boric acid, Hydrochloric acid, strong ammonium hydroxide, Calcium hydroxide, sodium hydroxide and official buffers.
 - (b) Antioxidants- Hypophosphorous acid, sulphur dioxide, Sodium bisulphite, Sodium metabisulphite, Sodium thiosulphate, Nitrogen and Sodium Nitrite.
 - (c) Gastrointestinal agents- (i) Acidifying agents, dilute Hydrochloric acid. (ii) Antacids- Sodium bicarbonate, Aluminium hydroxide gel, Aluminium Phosphate, Calcium carbonate, Magnesium carbonate, Magnesium trisilicate, Magnesium oxide, Combination of antacid preparations. (iii) Protective and Adsorbents- Bismuth subcarbonate and Kaolin. (iv) Saline Cathartics- Sodium Potassium tartrate and Magnesium sulphate.
 - (d) Topical Agents- (i) Protective- Talc, Zinc oxide, Calamine, Zinc stearate, Titanium dioxide, Silicon Polymers. (ii) Antimicrobials and Astringents- Hydrogen peroxide, Potassium permanganate, Chlorinated lime, Iodine, Solutions of Iodine, Povidone iodine, boric acid, Borax, Silver nitrate, Mild silver protein, Mercury, Yellow Mercuric oxide, Ammoniated Mercury. (iii) Sulphur and its compounds- Sublimed sulphur, precipitated sulphur, Selenium sulphide. (iv) Astringents- Alum and Zinc sulphate.
 - (e) Dental products- Sodium fluoride, Stannous fluoride, Calcium carbonate, Sodium meta phosphate, Dicalcium phosphate, Strontium chloride, Zinc chloride.
 - (f) Inhalants- Oxygen, Carbon dioxide, Nitrous oxide.
 - (g) Respiratory stimulants- Ammonium carbonate.
 - (h) Expectorants and Emetics- Ammonium chloride, Potassium iodide, Antimony Potassium tartrate.
 - (i) Antidote- Sodium nitrate.
2. Major Intra and Extracellular electrolytes-
 - (a) Electrolytes used for replacement therapy- Sodium chloride and its preparations, Potassium chloride and its preparations.
 - (b) Physiological Acid- base balance and electrolytes used- Sodium acetate, Potassium acetate, Sodium bicarbonate injection, Sodium citrate, Potassium citrate, Sodium lactate injection, Ammonium chloride and its injection.

- (c) Combination of oral electrolyte powder and solutions.
3. Inorganic official compounds of Iron, Iodine AND Calcium ferrous sulphate and Calcium gluconate.
 4. Radio pharmaceuticals and Contrast media- Radio activity- Alpha, Beta and Gamma radiation, Biological effects of radiation, measurement of radio activity, G.M. Counter, Radio isotopes- their uses, storage and precautions with special reference to the official preparation. Radio opaque. Contrast media- Barium sulphate.
 5. Quality control of drugs and pharmaceuticals- Importance of quality control, significant errors, methods used for quality control, sources of impurities in pharmaceuticals. Limit test for Arsenic, Chloride, sulphate, Iron and heavy metals.
 6. Identification test for cations and anions as per Indian Pharmacopoeia.

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY-II

1. Introduction to the nomenclature of organic chemical systems with particular reference to heterocyclic system containing up to 3 rings.
2. The chemistry of following pharmaceutical organic compound, covering their nomenclature, chemical structure, uses and important physical and chemical properties (Chemical structure of only those compounds marked with asterisk(*)).
3. The stability and storage conditions and the different types of Pharmaceutical formulation of drugs and their popular brand names.

Antiseptics and Disinfectants- Proflavine*, Benzal- koniumchlorides, Cetrimide, Chlorocresol*, Chloroxylene, Formaldehyde solution, Hexachlorophene, Liquified phenol, Nitrofurantoin.

Sulfonamides- Sulfadiazene, Sulfaguanidine*, Phthalylsulfathiazole, Succinylsulfathiozole, Sulfamethoxy pyridazine, Sulfamethoxazole, cotrimoxazole, Sulfacetamide*.

Antileprotic drugs- Clofazimine, Thiambutosine, Dapsone*, Solapsone.

Anti tubercular drugs- Isoniazid*, PAS*, Streptomycin, Rifampicine, Ethambutol*, Thiacetazone, Ethionamide, Cycloserine, Pyrazinamides*.

Anti amoebic and Anthelminthic Drugs- Emetine, Metronidazole*, Halogenated Hydroxyquinolines, diloxanidefuroate, Paramomycin Piperazine*, Mebenazole, D.E.C.*.

Antibiotics- Benzyl Penicillin*, Phenoxy methyl, Penicillin*, Benzathine Penicillin, Ampicillin*, Cloxacillin, Carbenicillin, Gentamicin, Neomycin, Erythromycin,

Tetracycline, Cephalexin, Cephaloridine, Cephalothin, Griscofulvin, Chloramphenicol.

Antifungal agents- Undecylenic acid, Tolnaftate, Nystatin, Amphotericin, Hamycin.

Antimalarial drugs- Chloroquin*, Amodiaquine, Primaquine, Proguanil, Pyrimethamine*, Quinine, Trimethoprim.

Tranquilizers- Chlorpromazine*, Prochlorperazine, Trifluoperazine, Thiothixene, Haloperidol*. Triperidol, Oxypertine, Chlordiazepoxide, Diazepam*, Lorazepam, Meprobamate.

Hypnotics- Phenobarbitone*, Butobarbitone, Cyclobarbitone, Nitrazepam, Phenobarbitone Glutethimide*, Methypylone, Paraldehyde, Triclofor sodium.

General Anaesthetics- Halothane*, Cyclopropane*, Diethyl ether*, Methohexial sodium, Thiopental sodium, Trichloroethylene.

Antidepressant drugs- Amitriptyline, Nortriptyline, Imipramine*, Phenelzine, Tranylepromine.

Analeptics- Theophylline, Caffeine*, Coramine*, Dextroamphetamine.

Adrenergic Drugs- Adrenaline*, Noradrenaline, Isoprenaline*, Salbutamol, Terbutaline, Ephedrine*, Pseudoephedrine.

Adrenergic Antagonist- Tolazine, Propranolol*, Practolol.

Cholinergic Drugs- Neostigmine*, Pyridostigmine, Pralidoxime, Pilocarpine, Physostigmine*.

Cholinergic Antagonist- Atropine*, Hyoscine, Homatropine, Propantheline*, Benztropine, Tropicamide, Biperiden*.

Diuretic drugs- Furosemide, Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide*, Benzthiazide, Urea*, Mannitol*, Ethacrynic acid.

Cardiovascular Drugs- Ethyle nitrite, Glyceryl trinitrate, Alpha methyl dopa, Guanethidine, **Clofhrate** Quinidine .

Hypoglycemic Agents- Insulin, Chlorpropamide*, Tolbutamide, Glibenclamide, Phenformin*, Metaformin.

Coagulants and Anti- Coagulants- Heparin, Thrombin, Menadione*, Bishydroxycoumarine, Warfarin Sodium.

Local Anaesthetics- Lignocaine*, Procaine*, Benzocaine.

Histamine and Anti- Histamine Agents- Histamine, Diphenhydramine*, Promethazine, Cyprohepatadine, Mepyramine, Pheniramine, Chlorpheniramine*.

Analgesics and Anti- pyretics- Morphin, Pethidine*, Codeine, Methadone, Aspirin*, Paracetamol*, Analgin, Dextropropoxyphene, Pentazocine.

Non steroidal anti inflammatory Agents- Indomethacine*, Phenylebutazone*, Oxyphenbutazone, Ibuprofen, Thyroxine and Antihydroids-Thyroxine*, Methimazole, Methylethiouracil, Propylthiouracil.

Diagnostic agents- Iopanoic acid, Propyliodone, Sulfobromophthalein. Sodium Indigotindisulfonate, Indigo Carmine, Evans blue, Congo red, Fluorescein Sodium.

Anticonvulsant, cardiac glycosides, Antiarrhythmic antihypertensives & vitamins.

Steroidal drugs- Betamethazone, Cortisone, Hydrocortisone, prednisolone, Progesterone, Oestradiol, Nandrolone.

PHARMACOGNOSY

1. Definition, history and scope of Pharmacognosy including Indian system of medicine.
2. Various systems of classification of drugs of natural origin.
3. Adulteration and drug evaluation; significance of Pharmacopocial standards.
4. Brief outline of occurrence, distribution, outline of isolation, identification tests, therapeutic effects and pharmaceutical application of alkaloids, terpenoids, glycosides, volatile oils, tannins and resins.
5. Occurrence , distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents including tests wherever applicable and therapeutic efficacy of following categories of drugs-
 - (a) Laxatives: Aloes, Rhuburb, Castor oil, Ispaghula, Senna.
 - (b) Cardiotonics- Digitalis, Arjuna.
 - (c) Carminatives & G.I. regulators- Umbelliferous fruits, Coriander, Fennel, Ajowan, Cardamom, Ginger, Black pepper, Asafoetida, Nutmeg, Cinnamon, Clove.
 - (d) Astrigents- Catechu.
 - (e) Drugs acting on nervous system- Hyoscyamus, Belladonna, Aconite, Ashwagandha, Ephedra, Opium, Cannabis, Nux vomica.
 - (f) Antihypertensives- Raulwolfia.
 - (g) Antitussives- Vasaka, Tolu balsam, Tulsi.
 - (h) Antirheumatics- Guggul, Colchium.
 - (i) Antitumour- Vinaca.
 - (j) Antileprotics- Chaulmoogra oil.

- (k) Antidiabetics- Pterocarpus, Gymnema, Sylvestro.
 - (l) Diuretics- Gokhru, Punarnava.
 - (m) Antidysentrics- Ipecacuanha.
 - (n) Antiseptic and disinfectants- Benzoin, Myrrh, Nim, curcuma.
 - (o) Antimalarials- Cinchona.
 - (p) Oxytocics- Ergot.
 - (q) Vitamins- Shark liver oil and Amla.
 - (r) Enzymes- Papaya, Diastase, Yeasts.
 - (s) Perfumes and flavouring agents- Peppermint oil, Lemon oil, Orange oil, Lemon grass oil, Sandalwood.
 - (t) Pharmaceutical aids- Honey, Arachis oil, Kaolin, Pectin, Olive oil, Lanolin, Bees wax, Acacia, Tragacanth, Sodium alginate, Agar, Gaur gum, Gelatin.
 - (u) Miscellaneous- Liquorice, Garlic, Picrorhiza, Dioscorea, Linseed, Shatawari, Shankpushpi, Pyrethrum, Tobacco.
6. Collection and preparation of crude drug for the market as exemplified by Ergot, Opium, Rauwolfia, Digitalis, Senna.
 7. Study of source, preparation and identification of fibres used in sutures and surgical dressings- cotton, silk, wool and regenerated fibres.
 8. Gross anatomical studies of Senna, Datura, Cinnamon, Cinchona, Fennel, Clove, Ginger, Nux vomica & Ipecacuanha.

BIOCHEMISTRY AND CLINICAL PATHOLOGY.

- a. Introduction to biochemistry.
- b. Brief Chemistry and role of proteins, polypeptides and amino acids, classification, Quantitative tests, Biological value, Deficiency diseases.
- c. Brief chemistry and role of carbohydrates, Classification, qualitative tests. Diseases related to carbohydrate metabolism.
- d. Brief chemistry and role of Lipids, Classification, qualitative tests, Diseases related to lipid metabolism.
- e. Brief chemistry and role of vitamins and enzymes.
- f. Role of minerals and water in life process.
- g. Enzymes: Brief concept of enzymic action, factors affecting it, therapeutic and pharmaceutical importance.
- h. Brief concept of normal and abnormal metabolism of proteins, carbohydrates and lipids.
- i. Introduction to pathology of blood and urine.
 - (a) Lymphocytes and Platelets, their role in health and disease.
 - (b) Erythrocytes – Abnormal cells and their significance.
 - (c) Abnormal constituents of urine and their significance in disease.

HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY

- i. Scope of Anatomy and Physiology.
- ii. Definition of various terms used in Anatomy. Structure of cell, function of its components with special reference to mitochondria and micomes.
- iii. Elementary tissues of the body i.e. epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervoustissue.
- iv. Structure and function of skeleton, classification of joints and their function, joint disorder.
- v. Composition of Blood, function of blood elements. Blood group and coagulation of blood. Brief information regarding disorder of blood.
- vi. Name and function of lymph glands.
- vii. Structure and function of various parts of the heart. Arterial and venous system with special reference to the names and positions of main arteries and veins. Blood pressure and its recording. Brief information about cardiovascular disorders.
- viii. Various parts of respiratory system and their functions. Physiology of respiration.
- ix. Various parts of urinary system and their functions, structure and function of kidney. Physiology of urine formation. Pathophysiology of renal disease and oedema.
- x. Structure of skeletal muscle, physiology of muscle contraction. Names, position, attachments and function of various skeletal muscles. Physiology of neuromuscular junction.
- xi. Various parts of central nervous system, brain and its parts, functions and reflex action, anatomy and physiology of autonomic nervous system
- xii. Elementary knowledge of structure and functions of the organs of taste, smell, ear, eyes and skin. Physiology of pain.
- xiii. Digestive system, names of the various parts of digestive system and their functions. Structure and functions of liver, physiology of digestion and absorption.
- xiv. Endocrine glands and hormones. Locations of the glands, their hormones and functions. Pituitary, thyroid, Adrenal and Pancreas.
- xv. Reproductive system- Physiology and Anatomy of Reproductive system.

HEALTH EDUCATION AND COMMUNITY PHARMACY

1. Concept of health – Definition of physical health, mental health, social health, spiritual health, determinants of health, indicators of health, concept of disease, natural history of diseases, the disease agents, concept of prevention of diseases.
2. Nutrition and health- Classification of foods, requirements, diseases induced due to deficiency of proteins, vitamins and minerals- treatment and prevention.
3. Demography and family planning- Demography cycle, fertility, family planning, contraceptive methods, behavioural methods, natural family planning method, chemical method, mechanical methods, hormonal contraceptives, population problem of India.

4. First aid- Emergency treatment in shock, snake bite, burns, poisoning, heart disease, fractures and resuscitation methods. Elements of minor surgery and dressings.
5. Environment and health- Sources of water supply, water pollution, purification of water, health air, noise, light, solid waste disposal and control- medical entomology, anthropod borne diseases and control, rodents, animal and diseases.
6. Fundamental principles of microbiology, classification of microbes, isolation, staining techniques of organisms of common diseases.
7. Communicable diseases- Causative agents, modes of transmission and prevention.
 - (a) Respiratory infections- Chicken pox, measles, Influenza, diphtheria, whooping cough and tuberculosis.
 - (b) Intestinal infections- Poliomyelitis, Hepatitis, Cholera, Typhoid, Food poisoning, Hook worm infection.
 - (c) Anthropod borne infection- Plague, Malaria, Filariasis.
 - (d) Surface infections- Rabies, Trachoma, Tetanus, Leprosy.
 - (e) Sexually transmitted diseases- Syphilis, Gonorrhea, AIDS.
8. Non communicable diseases- Causative agents, prevention, care and control, cancer, diabetes, blindness, cardiovascular diseases.
9. Epidemiology- It's scope, methods, dynamics of disease transmission, immunity, immunization, Immunological products and their schedule, principle of disease control and prevention, hospital acquired infection, prevention and control, Disinfection, types of disinfection, disinfection procedures for faces, urine, sputum, dead bodies, instruments.

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

1. Introduction to Pharmacology, scope of pharmacology.
2. Routes of administration of drugs, their advantages and disadvantages,
3. Various process of absorption of drug and the factors affecting them, Metabolism, distribution and excretion of drugs.
4. General mechanism of drugs action and the factors which modify drug action.
5. Pharmacological classification of drugs. The discussion of drug should emphasise following aspects-
 - (i) Drugs acting on the central nervous system:
 - (a) General anaesthetics, adjunction to anaesthesia, intravenous anaesthetics,
 - (b) Analgesic antipyretics and non steroidal anti- inflammatory drugs, Narcotics analgesic, Antirheumatic and anti-gout remedies, Sedatives and Hypnotics, Psychopharmacological agents, Anti convulsants, analeptics.
 - (c) Centrally acting muscles relaxants and anti parkinsonism agents.

- (i) Local anaesthetics.
- (ii) Drug acting on autonomic nervous system.
 - (a) Cholinergic drug, Anticholinergic drugs & anti cholinesterase drugs,
 - (b) Adrenergic drugs and adrenergic receptor blockers.
 - (c) Neurone blockers and ganglion blockers.
 - (d) Nueromuscular blockers, drugs used in myasthenia gravis.
- (iii) Drugs acting on eyes, mydriatics, drugs used in glaucoma.
- (iv) Drugs acting on respiratory system- Respiratory stimulants, Bronchodialators, Nasal decongestants, Expectorants and Antitussive agents.
- (v) Antacids, Physiological role of histamine and Anti histamines, and serotonin, Histamine and Antihistamines, Prostaglandins.
- (vi) Cardio vascular drugs, Cardiotonics, Antiarrhythmic agents, Antianlginal Agents, Anti hypertensive agents, Peripheral Vasodialators and drugs used in arterosclerosis.
- (vii) Drugs acting on the blood and blood forming organs, Haematinics, Coagulants and anti coagulants, Haemostatics, Blood substitutes and plasma expanders.
- (viii) Drugs affecting renal function- Diuretics and anti diuretics.
- (ix) Hormones and hormone antagonists- hypoglycemic agents, Anti thyroids drugs, sex hormones and oral contraceptives, Corticosteroids.
- (x) Drugs acting on digestive system- Carminatives, digestants,, Bitters, Antacids and drugs used in peptic ulcers, purgatives and laxatives, Anti diarrhoeals, Emetics, Anti emetics, Anti- spasmodic.
- (6) Chemotherapy of microbial diseases- Urinary antiseptic, Sulfonamides, Penicillin, Streptomycin, Tetracyclines and other antibiotics, Anti tubercular agents, Anti fungal agents, Anti viral drugs, Anti leprotic drugs.
- (7) Chemotherapy of protozoal diseases, Anti helminthic drug.
- (8) Chemotherapy of cancer.
- (9) Disinfectants and antiseptic.

A detailed study of the action of drugs on each organ is not necessary.

PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE

1. Origin and nature of pharmaceutical legislation in India, it's scope and objectives. Evolution of the " Concept of Pharmacy" as an integral part of Health care system.
2. Principles and significance professional ethics, Critical study of the code of Pharmaceutical Ethics drafted by Pharmacy Council of India.
3. Pharmacy Act, 1948- The General study of the Pharmacy Act with special reference to Education Regulations, working of State and Central Councils, Constitution of these Councils and functions, Registration procedure under the Act.

4. The drugs and cosmetics Act, 1940- General study of drugs and cosmetics Act and Rules there under. Definitions and salient features related to retail and wholesale distribution of drugs. The powers of Inspectors, the sample procedures and the procedure and formalities in obtaining license under the rules. Facilities to be provided for running a Pharmacy effectively. General study of the schedules with special reference of schedules C, C1,F,G,J,H,P and X and salient features of labeling and storage condition of drugs.
5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable advertisements) Act,1954- General study of the Act, Objectives, special reference to be laid on Advertisements. Magic remedies and objectionable and permitted Advertisements- disease which cannot be claimed to be cured.
6. Narcotic drugs and Psychotropic Substances Act 1985-A, brief study of the Act with special reference to it's objectives, offences and punishment.
7. Brief introduction to the study of the following acts-
 - (a) Latest Drugs (Price Control) Order in force.
 - (b) Poisons Act- 1919 (As amended to date).
 - (c) Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act,1955 (as amended to date).
 - (d) Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (as amended to date).

DRUG STORE AND BUSINESS MANAGEMENT

Part 1- COMMERCE

1. Introduction- Trade, Industry and Commercial Functions and subdivision of Commerce, Introduction to Elements of Economics and Management.
2. Forms of business organizations.
3. Channels of distribution.
4. Drug house management- Selection of site, Space lay out and legal requirement. Importance and objectives of purchasing, selection of suppliers, credit information, tender, contracts and price determination and legal requirements there to. Codification, handling of drug stores and other hospital supplies.
5. Inventory control- Objectives and importance , modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time, inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal.
6. Sales Promotion, Market research, salesmanship, quality of salesman, Advertising and window Display.
7. Recruitment, training, evaluation and compensation of the pharmacist.
8. Banking and Finance Service and functions of banks, Finance planning and source of finance.

Part-2 - ACCOUNTANCY

1. Introduction to accounting concepts and convention, double entry book keeping, different kinds of account.

2. Cash book.
3. General ledger and trial balance,
4. Profit and loss account, balance sheet.
5. Simple technique of analyzing financial statements.
6. Introduction to budgeting.

HOSPITAL AND CLINICAL PHARMACY

Part 1- Hospital Pharmacy

1. Hospitals- Definition, Function, Classification based on various criteria, organization, management and Health delivery system in India.
2. Hospital pharmacy-
 - (a) Definition.
 - (b) Function and objectives of Hospital Pharmaceutical Service.
 - (c) Location, layout, flow chart of material and men.
 - (d) Personnel and facilities requirements including equipments based on individual and basic needs. Requirement and abilities required for Hospital pharmacist.
3. Drug distribution system in Hospitals:
 - (a) Out patient service.
 - (b) In patient services- (i) types of services, (ii) detailed discussion of Unit dose system, Floor ward stock system, satellite pharmacy services, Central Sterile services, Bed side pharmacy.
4. Manufacturing:
 - (a) Economical considerations estimation of demand.
 - (b) Sterile manufacture- Large and small volume parenterals, facilities, requirements, layout, production planning, man power requirements.
 - (c) Non sterile manufacture- Liquid orals, externals- bulk concentrates.
 - (d) Procurement of stores and testing of raw material.
5. Nomenclature and uses of surgical instruments and Hospital Equipments and health accessories.
6. PTC (Pharmacy Therapeutic Committee), Hospital Formulary system and their organization, functioning, composition.
7. Drug Information service and drug Information bulletin.
8. Surgical dressing like cotton, gauze, bandage and adhesive tapes including their pharmacopocial test for quality. Other hospital supplies e.g. I V sets, Ryals tubes, D.G. sets, Catheters, Syringes etc.

9. Application of Computer in maintenance of records, inventory control, medication monitoring, drug information and data storage and retrieval in hospital and retail pharmacy establishments.

Part-2 - Clinical Pharmacy

1. Introduction to Clinical Pharmacy Practice- definition, scope.
2. Modern dispensing aspects- Pharmacists and patient counseling and advice for the use of common drugs, medication history.
3. Common daily terminology used in practice of medicine.
4. Diseases, manifestation and pathophysiology including salient systems to understand the disease like Tuberculosis, Hepatitis, Rheumatoid Arthritis, Cardiovascular diseases, Epilepsy, Diabetes, Peptic Ulcer, Hypertension.
5. Physiological parameters with their significance.
6. Drug Interactions:
 - (a) Definition and introduction,
 - (b) Mechanism of drug interaction,
 - (c) Drugs- drug interaction, with reference to analgesics, diuretics, cardiovascular drugs, Gastrointestinal agents, Vitamins and Hypoglycemic agents.
 - (d) Drug- food interaction.
7. Adverse drug reactions: definition and significance. Drugs- induced diseases and Teratogenicity.
8. Drugs in clinical Toxicity- Introduction, general treatment in poisoning, systematic antidotes, Treatment of insecticide poisoning, heavy metal poison, Narcotic drugs, Barbiturates, Organo phosphorous poison.
9. Drug dependence, drug abuse, addictive drugs and their treatment, complication.
10. Bio- availability of drugs including factors affecting it.

SYLLABUS FOR X-Ray Technician

Anatomy and Physiology

1. Applied Anatomy and Physiology in relation to Radiology
2. Different radiographic positioning.

Applied Physics

1. Discovery, Production of X-rays.
2. Modern X-ray tubes and X-ray tube circuits, X-ray spectrum.
3. Factors affecting X-ray spectrum.
4. Half Value Layer, Filtration etc.
5. Inverse Square Law.
6. ALARA - principle of Radiation Protection.
7. Different radiation monitoring instruments in Radiology & Radiology & Radiotherapy Department.
8. International recommendations of permissible Exposure Dose limits for Radiation workers and public.
9. Dark room, Manual and Automatic film processing, Density, Contrast, Speed Image un-sharpness, Distortion etc. Film fault in radiography and remedy.
10. Type of radiographic films.

General Physics

1. Basic idea of measurement of Physical Quantities and their Units. Heat energy and Temperature.
2. Conduction, Convection and Radiation.
3. Structure of atom, Electro-magnetic radiation, Theory of Wave and Quanta, Electromagnetic induction, Electric motor and generators, Transformers.
4. Rectifiers, Radio isotopes, Natural and Artificial radioactivity.
5. Interaction of radiation with matter.
6. Compton interaction. Application of Photoelectric effect in diagnostic radiology.

X-Ray

- Construction of X-ray tubes
- Filament design
- Anode design
- Methods of heat dissipation
- Heat unit
- Tube rating charts
- Three phase X-ray generator
- Common causes of X-ray tube failure
- Heat effect
- Line focus Principle
- Special Radiographic Techniques
- Tomography
- Miniature X-ray etc. radiographic factors,
- Grid and Grid parameters,
- Grid faults,
- Layout of X-ray Installation

SYLLABUS FOR A.N.M. (Male/Female)

Community Health Nursing

Concept of Health, Community Health practices, Health problems and policies, Health Organization, Role of Health team, Structure of Community, Rural community, Dynamics of Community, Community need assessment, Community methods & Media, Counseling, Community based Rehabilitation.

Health Promotion

- A. **Nutrition:** Essential nutrients, Nutritional problems, Nutritional assessment, promotion of Nutrition.
- B. **Human body and Hygiene:** The Human Body, Hygiene of the Body, Optimal functioning of the Body.
- C. **Environmental Sanitation** – Environmental Sanitation, Safe water, Disposal of Excreta and Waste, Community participation.
- D. **Mental Health** – Mental Health, Maladjustment, Mental illness, Old age care.

Primary Health Care

- A. **Infection and Immunization** – Concept of Disease, Infection, Immunity and Body defense mechanisms, immunization, Collection of Specimen (Principles & Methods), Disinfection and Sterilization, waste Disposal.
- B. **Communicable Diseases** – Introduction to Communicable diseases, Communicable diseases, Care in Communicable diseases, Epidemic Management.
- C. **Community Health Problems** – Care of the Sick In the Community, Fever (Vital signs), Respiratory problems (Types & Classification), Aches and Pains (Nursing Management), Digestive problems, Urinary Problems, Cardiovascular problems (Signs & Symptoms), Diseases of the nervous system (Neurological problems, Metabolic diseases, Diseases of Musculo-skeletal system, care of Handicap.
- D. **Primary Medical Care** – Types of Drugs, Administration of Drugs, Drugs used in minor ailments, Common Emergency Drugs
- E. **First Aid and Referral** – Need for First Aid, Minor Injuries and Ailments, Fractures, Life threatening conditions.

Child Health Nursing

Growth & Development, Nutrition of Infants and Children, Children's Rights, Care of the sick child, Care of School children, School Health, Care of Adolescents, Care of Adolescent girls

Midwifery

Human Reproductive System, Female Pelvis and Foetal skull, Foetus and Placenta, Normal Pregnancy, Antenatal Care, Normal Labour, Care during Normal labour, Normal puerperium, Care of New-born, High risk New-Born, Safe Mother-hood, High risk Pregnancies, Abnormalities of pregnancy, Abortion, Abnormal childbirth, Abnormal puerperium, Surgical Intervention, Medications used In midwifery, Life cycle approach, Status of women and empowerment, women Health Problems, RTIs and STIs, HIV/AIDS, Infertility, Population Education, Family welfare.

Health Centre Management

The Sub-centre, Maintenance of Stock, Co-ordination, Implementation of National health programs, Update knowledge.